भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

-5 DEC 2008

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH E 121042

मुख्य कोषाधिकारी मुरादाबाद

19

5352

2431

बयनामा

बयनामा	3,45,000/--रू0
मलियत	3,44,000/--रू0
स्टाम्प	24,500/--रू0

हम कि श्रीमती राजबाला पत्नी श्री महेन्द्र सिंह निवासी सीकरी गेट चन्दौसी जिला मुरादाबाद व [illegible] अमित कुमार [illegible] पुत्र श्री जगत सिंह निवासी ग्राम भीकनपुर तहसील अमरोहा जिला जे0पी0 नगर व [illegible]
श्रीमती श्यामवती पत्नि जगत सिंह निवासी ग्राम भीकनपुर तहसील अमरोहा जिला जे० पी० नगर 50-50 बहैसियत मुकद्दम आम

नाम स्टाम्प क्रेता श्रीमती ... [illegible] ... कालिन्दीपुरम ... [illegible]

— दिनांक [illegible]

क्र॰ सं॰ 1

स्टाम्प अंकित मूल्य 5000

स्टाम्प जारी [illegible] / [illegible]

कुल स्टाम्प 3 कुल मूल्य स्टाम्प 15000

निम्नलिखित मूल्य के स्टाम्प समाहित हैं।

हेमलता गुप्ता स्टाम्प विक्रेता

ला॰न॰ 177/CM/16 कचहरी [illegible]

11.1.17

26-12-09

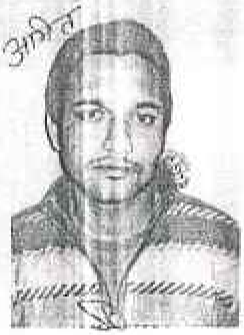
अमित

पुष्पावती

विकास

के॰ श्रीमती [illegible]

के॰ अमित कुमार

[illegible]

के॰ श्री विकास [illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 पाँच हजार रुपये

Rs.5000 FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

5 DEC 2003

E 121041

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

कार्यालय मुख्य कोषाधिकारी मुरादाबाद
मुख्य कोषाधिकारी
मुरादाबाद 1430

2

फदल सिंह व कुंवरपाल सिंह व भरत सिंह व मोहर सिंह पुत्रगण स्व0 रामस्वरूप सिंह निवासीगण ग्राम सरकड़ा तहसील बिलारी जिला मुरादाबाद मुख्तारनामा आम पंजीकृत दिनांक 19–12–2008 ई0 वही सं0 4 जिल्द सं0 203 पृष्ठ सं0 139 / 150 क्रमांक 343 कार्यालय उप निबन्धक द्वितीय मुरादाबाद विक्रेता (प्रथम पक्ष) एवम् एक्सिस बिल्ड होम (प्रा0) लि0 205 गौरव टावर मालवीय नगर जयपुर द्वारा डायरेक्टर विकास जैन पुत्र स्व0 श्री सतीश चन्द्र जैन क्रेता (द्वितीय पक्ष) के हैं।

[illegible]

नाम स्टाम्प क्रेता

क्र०सं० 19 — दिनांक 21-12-08

स्टाम्प अंकित मूल्य 5000

स्टाम्प वास्ते इकरारनामा/ बयनामा

कुल कितने 3 कुल मूल्य स्टाम्प 15000

निम्नांकित मूल्य के स्टाम्प समाविष्ट है।

हेमलता गुप्ता स्टाम्प विक्रेता

ला०नं० 177/ CM/06 कचहरी परिसर, मुरादाबाद

H.G.

21-12-08

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DEC 2008

E 121040

कार्यालय मुख्य कोषाधिकारी मुरादाबाद
मुख्य कोषाधिकारी
मुरादाबाद 1400

3

जो कि आराजी काश्त भूमिधरी खाता सं0 291 खसरा सं0 1058 रकबई 0.105 हेक्टे0 व खसरा सं0 1063 रकबई 0.304 हेक्टे0 कुल दो किते कुल रकबई 0.409 हेक्टे0 लगानी सालाना 10.10 रू0 स्थित ग्राम चौधरपुर तहसील व जिला मुरादाबाद जिस पर प्रथम पक्ष बहैसियत भूमिधर मालिकाना मालिक काबिज व दखील है। प्रथम पक्ष को इस आराजी की बावत विक्रय करने का पूर्ण अधिकार है तथा प्रथम पक्ष को अपने भाग को विक्रय करने में किसी प्रकार की कोई कानूनी अड़चन नहीं है। विक्रय की जाने वाली आराजी इस वक्त तक हर किस्म के बार, लोन सरकारी व गैर सरकारी व कुर्की व

0.409 x 10000
833.64
= 7.6643

नाम स्टाम्प क्रेता [illegible]

क्र.सं. 20 — दिनांक 26-12-08

स्टाम्प समस्त मूल्य

स्टाम्प वास्ते इकरारनामा/ बयनामा 5000

कुल बिक्री 3 कुल मूल्य स्टाम्प 15000

निम्नांकित मूल्य के स्टाम्प समाविष्ट है।

हेमलता गुप्ता स्टाम्प विक्रेता

ला०नं० 177/CM/06 कचहरी परिसर [illegible]

HL [signature]

26-12-08

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 740046

23 DEC 2008

4

किफालत व नीलामी बगैरहा से कतई बरी व पाक व साफ है। गरज यह कि विक्रीत आराजी पर किसी प्रकार का कोई विवाद नही है। न ही इस आराजी पर किसी प्रकार का कोई बकाया आदि है तथा न ही किसी अन्य व्यक्ति का विक्रय की जाने वाली आराजी में कोई हक व हिस्सा है तथा विक्रय की जाने वाली आराजी की बावत विक्रेता (प्रथम पक्ष) ने किसी अन्य व्यक्ति को इकरारनामा या बयनामा नही किया है तथा न ही इस आराजी की बावत द्वितीय पक्ष (क्रेता) के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति से कोई धनराशि प्राप्त की है। चूंकि कीमत भी मुनासिब मिल रही है लिहाजा हम (विक्रेता) प्रथम पक्ष ने खूब

श्यामवती

[illegible]

क्रम संख्या 20 ... [illegible]

[illegible]

अनिल कपूर स्टाम्प विक्रेता

[illegible], मुरादाबाद ला० न० 45/CM

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 719988

19 DEC 2006

मुख्य कोषाधिकारी मुरादाबाद 1400

सोच व समझकर बिना बहकाये व सिखाये व दबाव नाजायज किसी के पूर्णतया अपनी सदबुद्धि से यह आराजी मुबलिग 3,45,000/--रूपये (तीन लाख पैंतालीस हजार रूपये) आधे जिसके 1,72,500/--रू0 (एक लाख बहत्तर हजार पॉच सौ रूपये) होते हैं द्वितीय पक्ष (क्रेता) एक्सिस बिल्ड होम (प्रा0) लि0 205 गौरव टावर मालवीय नगर जयपुर द्वारा डायरेक्टर विकास जैन पुत्र स्व0 श्री सतीश चन्द्र जैन को बय और फरोख्त कामिल करके कुल जरे समन उसका हस्ब तफसील जैल द्वितीय पक्ष क्रेता से वसूल पाकर तमामी शय मुबईया मजकूर वाला का कब्जा व दखल द्वितीय पक्ष (क्रेता) को दे

Amit Kumar

रश्मिवती

[illegible]

संख्या ... 21 ... दिनांक 26/10/[illegible]

स्टाम्प ... [illegible] ... 1000/-

स्टाम्प ... [illegible]

कपिल कपूर स्टाम्प विक्रेता

[illegible] मुरादाबाद ना० न- 45/CM

[illegible] 26/10/[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 719989

कार्यालय मुख्य कोषाधिकारी मुरादाबाद
मुख्य कोषाधिकारी
मुरादाबाद 1400

19 DEC 2008

6

दिया है। आज के बाद से आराजी मजकूर की बावत प्रथम पक्ष (विक्रेता) व वारिसान प्रथम पक्ष (विक्रेता) का कोई ताल्लुक व वास्ता बाकी नही रहा है और न ही आईन्दा होगा। द्वितीय पक्ष (क्रेता) को पूरा हक हासिल होगा कि वह कागज कानूनी में प्रथम पक्ष (विक्रेता) का खारिज कराकर अपना नाम दर्ज करा ले अगर बाद को किसी वक्त में किसी फेल प्रथम पक्ष (विक्रेता) या कर्जख्वाह या औलाद या अन्य किसी दीगर शख्स की देनदारी या कानूनी नुक्स से शय मुबईया का जुज या कुल कब्जा द्वितीय पक्ष (क्रेता) या वारिसान द्वितीय पक्ष (क्रेता) से निकल जावे या बगरज तहफ्फुज शय मुबईया द्वितीय पक्ष

श्यामवती

नाम स्टाम्प क्रेता [illegible]

क्र संख्या ... 21 ... दिनांक 26/12/2008

स्टाम्प अनरल/कोर्ट फीस [illegible]

स्टाम्प वापसी ... मूल्य ...

कुल टिकट ... 6 ... [illegible] नं० ... में प्राप्त किये।

कपिल कपूर स्टाम्प विक्रेता
कलेक्ट्रेट, मुरादाबाद ला० न० 45/CM

[illegible] 3501 ... [illegible]
26/12/08

ने निष्पादन स्वीकार किया ।

जिनकी पहचान श्री तेजभान सिंह
पुत्र श्री स्व0श्री बाबू सिंह
पेशा व्यापार
निवासी गोपालपुर नथला मुरा0

व श्री श्री ओम गोयल
पुत्र श्री पी0 पी गोयल
पेशा व्यापार
निवासी लाल कोठी मुरा0
ने की ।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

पी0 के0 यादव
उप निबन्धक (द्वितीय)
मुरादाबाद
26/12/2008

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 719990

मुख्य कोषाधिकारी मुरादाबाद 1400

7

(क्रेता) को कोई सर्फा मजीद खर्चा अदा करना पड़े तो उसी कदर कुल जरे समन की वापसी का प्रथम पक्ष (विक्रेता) अपनी जात व दीगर जायदाद मनकूला व गैर मनकूला हर किस्म अपनी से कुल हर्जे व खर्चे अदालती सहित देनदार व जिम्मेदार प्रथम पक्ष (विक्रेता) होगा। वनीज आज तक की तमामी कानूनी देनदारियॉ व जिम्मेदारियॉ प्रथम पक्ष (विक्रेता) की होंगी। अब द्वितीय पक्ष (क्रेता) को हक व अधिकार है कि वह कागजात सरकारी से प्रथम पक्ष (विक्रेता) का नाम खारिज कराकर अपना नाम दर्ज करा ले। प्रथम पक्ष (विक्रेता) को कोई उज्र व एतराज

स संख्या 23

कपिल कपूर स्टाम्प विक्रेता
कलेक्ट्रेट, मुरादाबाद ला० न० 45/CM

विक्रय पत्र

345,000.00/	344,000.00	5,000.00	20	5,020.00	800
प्रतिफल	मालियत	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग

श्री /श्रीमती एक्सिस बिल्ड होम प्रा0 लि0 गौरव टावर डा0 विकास जैन
पुत्र / पत्नी श्री स्व श्री सतीश चन्द्र जैन
पेशा व्यापार
निवासी स्थायी
अस्थायी पता
ने यह लेखपत्र इस कार्यालय दिनांक 26/12/2005 समय 6:03PM
बजे निबन्धन हेतु पेश किया

पी0 के0 यादव
उप निबन्धक (द्वितीय)
मुरादाबाद
26/12/2005

निष्पादन लेखपत्र बाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रू प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता

श्री/श्रीमती राजबाला
पुत्र/पत्नी श्री महेन्द्र सिंह
पेशा गृहिणी
निवासी सीकरी गेट चन्दौसी जिला मुरा0

श्री/श्रीमती अमित कुमार
पुत्र/पत्नी श्री जगत सिंह
पेशा व्यापार
निवासी भीकनपुर जे0पी0नगर

श्री/श्रीमती श्यामवती
पुत्र/पत्नी श्री जगत सिंह
पेशा गृहिणी
निवासी भीकनपुर जे0पी0नगर

क्रेता

श्री/श्रीमती एक्सिस बिल्ड होम प्रा0 लि0 गौरव टावर डा0 विकास जैन
पुत्र/पत्नी श्री स्व श्री सतीश चन्द्र जैन
पेशा व्यापार
निवासी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 719991

मुख्य कोषाधिकारी मुरादाबाद 1400

19 DEC 2008

8

नही होगा। पक्षकारान के फोटो गवाहान की पहचान पर श्री सुभाष चन्द्र माथुर एडवोकेट ने सत्यापित किये हैं।

नोट– विक्रीत आराजी का मूल्यांकन, मूल्यांकन सूची के परिशिष्ट 1 उपखण्ड "क" के अनुसार 3,40,000/--रू0 प्रति एकड़ निर्धारित है। नियमानुसार स्टाम्प अदा किया गया है। विक्रेतागण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य नही है। आराजी वक्फ या कस्टोडियन की सम्पत्ति नही है। आराजी पूर्णतः खेती की भूमि है। मौके पर तथा आस--पास खेती हो रही है। आराजी में कोई पेड़, कूप, भवन व बोरिंग आदि नही है। विक्रीत खसरा नम्बरान में विक्रेतागण ने अपना

कपिल कपूर स्टाम्प विक्रेता
कलेक्ट्रेट, मुरादाबाद ला० न० 45/CM

विक्रेता

Registration No 7271 Year : 2008 Book No. 1

0101 राजबाला

महेन्द्र सिंह

सीकरी गेट चन्दौसी जिला मुरा0

गृहिणी

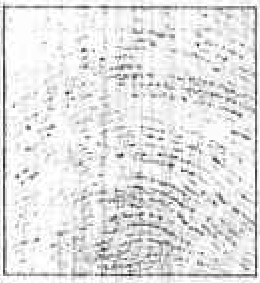

0102 अमित कुमार

जगत सिंह

भीकन पुर जे0पी0नगर

व्यापार

0103 श्यामवती

जगत सिंह

भीकन पुर जे0पी0नगर

गृहिणी

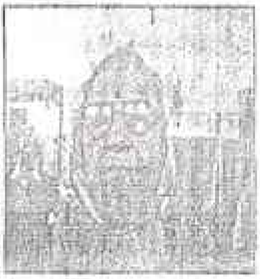

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500

FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये

सत्यमेव जयते

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 19 DEC 2008

B 741837

9

सम्पूर्ण भाग विक्रय किया है तथा विक्रीत खसरा नम्बरान में विक्रेतागण का कोई भाग शेष नही रहा है। मुख्तारनामा आम निरस्त नही किया गया है तथा मुख्तारनामा आम कर्तागण जीवित है।

राजबाला

Amit Kumar

श्यामवती

कपिल कपूर स्टाम्प विक्रेता
कलेक्ट्रेट, मुरादाबाद ला० नं० 45/C

क्रेता

Registration No	7271	Year :	2008	Book No.	1

0201 एक्सिस बिल्ड होम प्रा0 लि0 गौरव टावर द्वा0 विकास जैन
पुत्र श्री सतीश चन्द्र जैन

व्यापार

तपसील वसूली जरे समन--मुबलिग 3,45,000/–रू0 इस प्रकार कि अंकन 1,72,500/–रू0 द्वारा ड्राफ्ट सं0 023853 दिनांक 12–08–2008 ई0 व अंकन 86,250/–रू0 द्वारा ड्राफ्ट सं0 023854 दिनांक 12–08–2008 ई0 व अंकन 86,250/–रू0 द्वारा ड्राफ्ट सं0 023855 दिनांक 12–08–2008 ई0 सभी ड्राफ्ट एक्सिस बैंक लि0 मुरादाबाद प्रथम पक्ष (विक्रेता) ने द्वितीय पक्ष (क्रेता) से कब्ल रजिस्ट्री बयनामा हाजा प्राप्त कर लिये हैं।

नोट–पृष्ठ सं0 1 की छठी पंक्ति में शब्द "व" के बाद तथा सातवीं पंक्ति पूर्ण रूप से व आठवीं पंक्ति में शब्द "अमित" से पहले तथा नवीं पंक्ति में शब्द "कुमार" तथा "पुत्र" के बीच तथा दसवीं पक्ति में शब्द "व" के बाद कटा है तथा " श्रीमती श्यामवती पत्नी जगत सिंह निवासी ग्राम भीकनपुर तहसील अमरोहा जिला जे0पी0 नगर उ0प्र0 बहैसियत मुख्तारेआम" हाथ से लिखा है।

ह0 विक्रेता ह0 विक्रेता ह0 विक्रेता

ह0 क्रेता सा0 सा0

बयनामा हाजा आज दिनांक 26–12–2008 ई0 को बमुकाम मुरादाबाद बइकरार पक्षकारान बमशवरा श्री सुभाष चन्द्र माथुर एडवोकेट सचिन मिश्रा ने टाईप किया है।

(आप0)

N.T.C
164
27/5/09

आज दिनांक 26/12/2008 को

बही सं 1 जिल्द सं 5952

पृष्ठ सं 231 से 252 पर क्रमांक 7271

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

पी0 के0 यादव

उप निबन्धक (द्वितीय)

मुरादाबाद

26/12/2008

उप निबन्धक सदर मुरादाबाद
सत्यमेव जयते

आराजी वाके खसरा सं० 1058 रकबई 0.105 हे० खसरा सं० 1063 रकबई 0.304 हे० कुल दो किता कुल रकबई 0.409 हे० स्थित ग्राम – चौधरपुर तहसील व जिला मुरादाबाद

इकरारी – राजबाला आदि

मौसूमा – एक्सिस बिल्ड होम डायरेक्टर विकास जैन

नोट – विक्रित आराजी की 200 मीटर की त्रिज्या में खेती हो रही है।

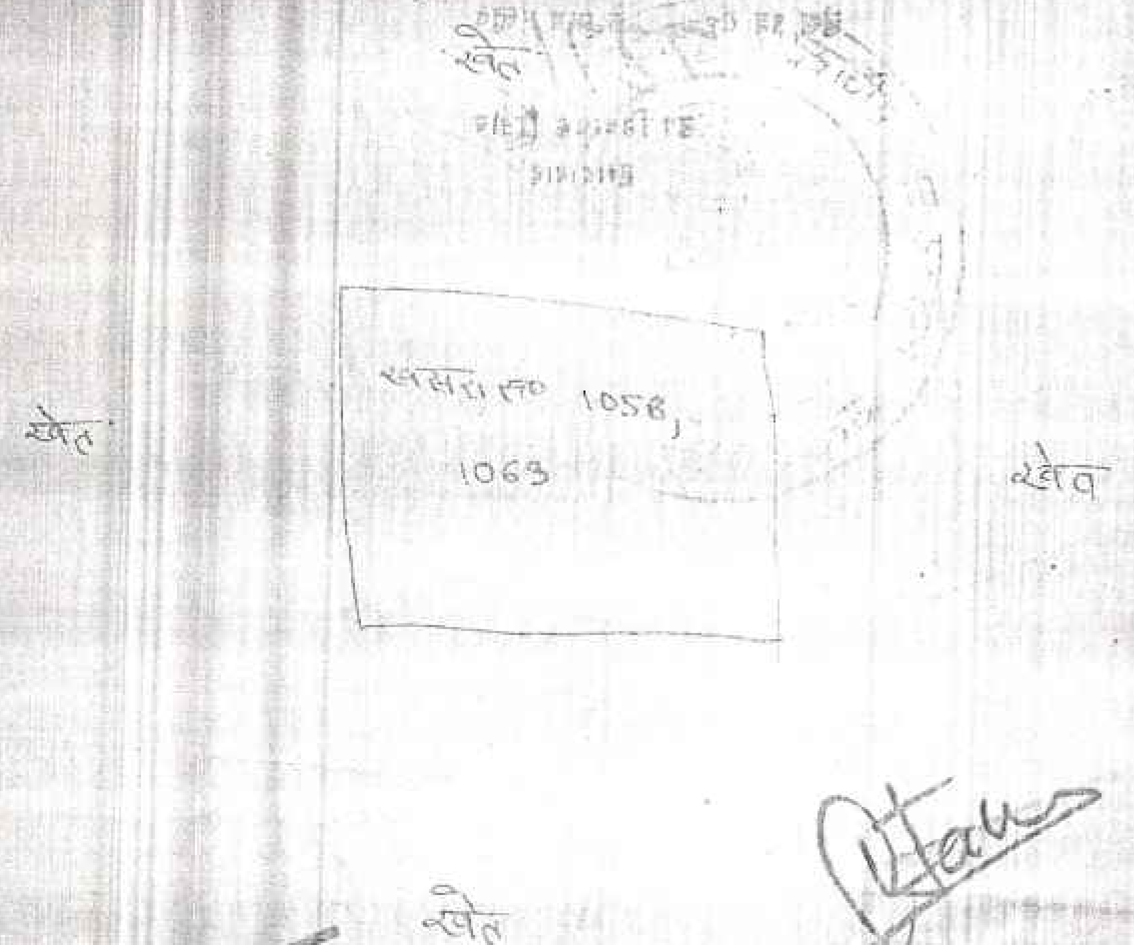

Amit Kumar